रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258408
CG-DL-E-01112024-258408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 2024/ कार्तिक 7, 1946
No. 612] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 670(अ).— अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटा बेस और सहबद्ध मामले) नियम, 2024 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 18 जून, 2024 में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 333 (अ), तारीख 18 जून, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ऐसी तारीख जिसको, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिवस की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 18 जून, 2024 को उपलब्ध करवाई गई थीं;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) धारा 3 के खंड (च); धारा 22, धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ण) और खंड (ययक) तथा धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस और सहबद्ध मामले) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "अभिहित प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन राज्य द्वारा नियुक्त अभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;

(घ) "नोडल कार्यालय" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकारी द्वारा अभिहित कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) "नोडल अधिकारी" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोडल कार्यालय के प्रशासन के लिए और नियम 5 के अधीन कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "पोर्टल" से नोडल अधिकारी और नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों द्वारा-

(i) जलयानों के सर्वेक्षण और रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रक्रिया को सुकर बनाने, जलयान की बाबत प्रमाणपत्र जारी करने और कर्मीदल की सक्षमता के प्रमाणपत्र जारी करने;

(ii) मशीन द्वारा पठनीय, मुद्रणीय, साझा योग्य, सत्यापन योग्य और सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के परिरक्षण, प्रतिधारण और पहुंच प्रदान करने;

(iii) राज्य में रजिस्ट्रीकृत जलयान से संबंधित सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाले इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के संग्रह का रखरखाव करने;

(iv) कर्मीदल के लिए जारी सक्षमता प्रमाणपत्रों के सभी ब्यौरे और डाटा अंतर्विष्ट करने वाले इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के संग्रह का रखरखाव करने,

के लिए स्थापित और अनुरक्षित वैब या इलेक्ट्रानिक आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;

(2) "तृतीय पक्षकार पहुंच" से इन नियमों के अनुसार जलयान के किसी स्वामी या जलयान के स्वामी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों या कर्मीदल या प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा केंद्रीय डाटाबेस तक पहुंच है किंतु इसमें अधिनियम या नियमों के अधीन प्रशासनिक या कानूनी प्राधिकारी सम्मिलित नहीं है । उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में है ।

3. केंद्रीय डाटाबेस का प्ररूप.-

अधिनियम की धारा 3 के खंड (च) में निर्दिष्ट केंद्रीय डाटाबेस में निम्नलिखित डाटा और ब्यौरे इलेक्ट्रानिक प्ररूप में अंतर्विष्ट होंगे-

(1) अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम 2022 के प्ररूप 1 से प्ररूप 9 में यथा अंतर्विष्ट जलयान का सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन, सर्वेक्षक द्वारा जारी की जाने वाली घोषणा, उपस्कर और जलयान सूचना का विलेख, सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र, जलयान, जिसका पहली बार सर्वेक्षण किया जाना है, के सर्वेक्षण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्टियां, सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र पर जलयान के नाम परिवर्तन के लिए आवेदन;

(2) अंतर्देशीय जलयान (रजिस्ट्रीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम 2022 के प्ररूप 1 से प्ररूप 13 में यथा अंतर्विष्ट अंतर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली रजिस्ट्रीकरण बही, जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जलयान के स्वामित्व की घोषणा, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अंतर्देशीय जलयान के निरीक्षण की तारीख और समय नियत किया जाना, कालिंग और मार्किंग टिप्पण, परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्री के अंतरण के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, बंधक सृजित करने वाली लिखत, बंधक का अंतरण सृजित करने वाली लिखत, बंधक का उन्मोचन सृजित करने वाली लिखत, रजिस्ट्रीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाणपत्र ;

(3) अंतर्देशीय जलयान (काम में लगाना) नियम 2022 के प्ररूप 1 से प्ररूप 3 में यथा अंतर्विष्ट कर्मीदल के लिए जारी सक्षमता प्रमाणपत्र, सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र, सेवा प्रमाणपत्र,

सक्षम प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन;

(4) अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण की रोकथाम और संरोधन) नियम 2022 में यथा अंतर्विष्ट, अंतर्देशीय जलयान (बीमा, दायित्व की सीमा और सेवा प्रदाताओं और सेवा प्रयोक्ताओं की बाध्यता) नियम 2022 के प्ररूप 2 में यथा अंतर्विष्ट प्रदूषण के रोकधाम और संरोधन के लिए पालन का प्रमाणपत्र;

(5) स्वागत सुविधाओं के डाटा और ब्यौरे;

(6) ऐसे अन्य प्ररूप, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

4. निदेश जारी करने के शक्ति.-

सक्षम प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नोडल अधिकारी के चयन और नियुक्ति के लिए अर्हताओं, मानदंड और ऐसी अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में निदेश जारी करेगा ।

5. नोडल अधिकारी के कर्तब्य.-

(1) नोडल अधिकारी केंद्रीय डाटाबेस की मानीटरी, प्रशासन और अनुरक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वेब र्टल पर अभिलिखित और उपलब्ध सूचना सुरक्षित और प्रकार्य हो।

(2) नोडल अधिकारी, नियम 9 के अधीन प्रत्येक राज्य के अभिहित प्राधिकारियों से डाटा और ब्यौरे एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) नियम 9 के अधीन अभिहित प्राधिकारियों से प्राप्त पालन रिपोर्ट और डाटा, नोडल अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नियमित अंतरालों पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए ।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) में उपबंधित कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के अध्यधीन रहते हुए नोडल अधिकारी ऐसे अधिकारियों या व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा हथालन और संरक्षण तथा साफ्टवेयर या हार्डवेयर विकास या ऐसे अन्य प्रयोजनों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो; और ऐसी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आज्ञापित मार्गदर्शक सिद्धांतों, निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी ।

(5) नोडल आफिसर, डाटाबेस के समुचित उपयोग और उसमें अन्तर्विष्ट सूचना प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, उसके अधीन नियुक्त अधिकारियों या व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगा । नोडल आफिसर, डाटाबेस और सूचना प्रबंधन के संबंध में पदभिहित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा पणधारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा ।

(6) नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन नियुक्त नोडल आफिसर और अधिकारी या व्यक्ति निम्नलिखित रीति में केंद्रीय डाटाबेस बनाएं रखेंगे-

i. डाटा की अखंडता, सुरक्षा, मानक और क्वालिटी ;

ii. सोपनीयता तथा निष्पादन ईष्टतमीकरण सुनिश्चित करना ;

iii. बैकअप और वसूली के लिए पर्याप्त तंत्र बनाना ;

iv. डाटा की संगतता सुनिश्चित करना ;

v. प्रलेखीकरण और मेटा डाटा बनाए रखना ;

vi. निष्पादन मानीटरी और ईष्टतमीकरण सुनिश्चित करना ;

vii. जीडीपीआर, पीसीआई डीएसएस, मेटी मार्गदर्शक सिद्धान्त जैसे सुसंगत डाटा संरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करना ;

viii. परिवर्तन प्रबंधन और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना ;

ix. और ऐसे डाटाबेस रखरखाव के लिए मानक प्रचालन पद्धतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना, के जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएं ।

6. केंद्रीय डाटाबेस को बनाए रखने के लिए मानक और पद्धतियां :

(1) नियम 5 के अधीन रहते हुए, नोडल आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित मानक और पद्धतियां निम्नलिखित रीति में इन नियमों के अधीन डाटाबेस को बनाए रखने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं :-

(i) डाटाबेस का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायित्व का स्पष्ट पदाभिधान ।

(ii) डाटा क्वालिटी, अखण्डता, और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यष्टियों या टीमों की पहचान ।

iii. डाटा सृजन, भंडारण, पुनःप्राप्ति और पुरालेखीकरण या विलोपन के लिए पद्धतियों को परिभाषित करना ।

iv. एडमिन, यूजर, गेस्ट जैसी भूमिकाओं को परिभाषित करना और प्रत्येक भूमिका के लिए पहुंच अधिकारों को विनिर्दिष्ट करना ।

v. सुरक्षित लॉगइन तंत्र का कार्यान्वयन और यह अवधारण करना कि कौन किस डाटा को प्राप्त कर सकता ।

vi. अनुमार्गणीयता और जवाबदेही के लिए सभी डाटा बेस क्रियाकलापों की लागिंग सुनिश्चित करना ।

vii. अद्यतन जानकारी की गंभीरता और आवृत्ति पर आधारित निरन्तर बैकअप का निष्पादन करना ।

viii. अनुपालन सुनिश्चित करने और भंडारण उपयोग को ईष्टतम बनाने के लिए बैकअप डाटा के लिए प्रतिधारण नीतियों को परिभाषित करना ।

ix. डाटा को अविकल और सुरक्षित रखने के लिए समर्पित डाटाबेस बनाना ।

x. अधिनियम की धारा 3 के खंड (च), धारा 41 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए ऐसे अन्य नियमों में अधिदिष्ट ब्यौरों को अभिलिखित करना ;

xi. ऐसी सूचना या डाटा के स्रोत का उपबंध करना जिसे अभिलिखित किया गया है और रखा गया है, जो संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध है ;

xii. प्रशासन और / या तृतीय पक्षकार पहुंच को यूजर मैनुअल, उपलब्ध कराना, उस तक सुगम्यता के निर्बंधन, पद्धतियां और निबंधन तथा शर्ते ;

xiii. लेखाओं का रजिस्ट्रीकरण, यूजर पहचान तथा यूजर इन्टरफेस के लिए पासवर्ड समनुदेशित करना;

xiv. सूचना को अपलोड करने के लिए पद्धतियों का उपबंध करना ;

xv. निजी नीतियों, दायित्वों और प्रतिलिप्याधिकारों का उपबंध करना ;

xvi. आवधिक रूप से डाटाबेस को अद्यतन करना ;

xvii. छानबीनों के इतिहास को बनाए रखना ;

xviii. आवश्यक स्वत्वत्यागों का उपबंध करना ; और

xix. ऐसे अन्य विषय, जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्मिलित किए जाने के लिए निदेशित किए जाएं ।

xx. डाटाबेस ईष्टमीकरण, पैच प्रबंध, और साफ्टवेयर अपडेट जैसे नैत्यिक रखरखाव कार्यों को नियत करना ।

xxi. डाटाबेस पणधारियों के बीच प्रभावी संसूचना के लिए सहयोग मंचों का उपयोग करना ।

xxii. डाटाबेस के लिए फीडबैक और सुझावों का उपबंध करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए चैनलों की स्थापना करना ।

xxiii. उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं तथा प्रौद्यिगिकियों का समाधान करने के लिए डाटाबेस मार्गदर्शक सिद्धांतों, नीतियों और पद्धतियों का नियमित पुनर्विलोकन करना ।

xxiv. फीडबैक का आग्रह करके और भूतकालिक अनुभवों से सीखे गए पाठों को समाविष्ट करके सतत् सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना ।

xxv. केंद्रीय डाटाबेस में विरासत डाटा को स्कैन करना और उसे अपलोड करना ।

(2) केंद्रीय डाटाबेस के उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उपभोग या छानबीन पूर्णतया इन नियमों के अधीन उपबंधित मानकों और पद्धतियों के अनुरूप है ।

7. सुगम्यता:

(1) नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन नोडल आफिसर द्वारा नियुक्त नोडल आफिसरों द्वारा नियुक्त नोडल आफिसर और अधिकारियों तथा व्यक्तियों की डाटाबेस तक पूर्ण पहुंच होगी ।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में जेनेरिक डाटा तक सीमित तृतीय पक्षकार की पहुंच का उपबंध किया जा सकेगा ।

(3) जलयानों के स्वामियों की उसके स्वामित्वाधीन जलयानों से संबंधित जानकारी तक ही पहुंच होगी ।

(4) कर्मीदल की उनके प्रोफाइल तक ही सीमित पहुंच होगी ।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सरकरा के पूर्ण अनुमोदन से, तृतीय पक्षकार पहुंच के निबंधनों तथा शर्तों का उपबंध करने के लिए ऐसे निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा ।

8. गोपनीयता :

(1) केंद्रीय डाटबेस पर छानबीन से अभिप्राप्त किसी भी सूचना को गोपनीय समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुज्ञात घोषित प्रयोजन के लिए प्रकट किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम अधिकारी निदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों का उपबंध कर सकेगा जिनके अधीन रहते हुए सूचना को उपयोक्ता द्वारा प्रकट किया जा सकता है ।

9. पदाभिहित प्राधिकारी का कर्तव्य :-

(1) प्रत्येक राज्य का पदाभिहित प्राधिकारी, तीस दिन से अनधिक के नियमित अन्तरालों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोडल आफिसर को नियम 3 में अन्तर्विष्ट डाटा और ब्यौरों का उपबंध करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(2) प्रत्येक राज्य का पदाभिहित प्राधिकारी, नियम 3 में अन्तर्विष्ट डाटा और ब्यौरों का वास्तविक काल में नए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को सृजित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

[फा.स. आईडब्ल्यूटी-11011/114/2021-आईडब्ल्यूटी]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 2024

G.S.R. 670(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 333 (E), dated the 18th June, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th June, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 18th June, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clause (f) of section 3, section 22, clauses (a), (o) and (zza) of sub-section (2) of section 106 and section 108 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely. -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

   (a) "Act" means the Inland Vessels Act 2021 (24 of 2021);
   (b) "nodal office" means office designated by the competent authority;
   (c) "nodal officer" means any officer appointed by the competent authority to administer the nodal office and to perform duties under rule 5;
   (d) "portal" means a web or electronic based system set up and maintained by the nodal officer and the officers or persons appointed under sub-rule (4) of rule 5 for,——

(i) facilitating the processes relating to survey and registration of vessels, issuance of certificates in respect of vessels and the issuance of certificates of competency to the crew;

(ii) preserving, retaining and granting access to machine readable, printable, shareable, verifiable and secure electronic records;

(iii) maintaining a repository of electronic records containing all particulars pertaining to vessels registered;

(iv) maintaining a repository of electronic records containing all details and data of the certificates of competency issued to the crew;

(v) maintaining a repository of electronic records containing all details and data of reception facilities and

(vi) such other data

(e) "third party access" means access of central database in accordance with these rules, by any owner of vessel or authorised representatives of the owner of vessel or ship manager or crew or training institutes or ship designer or classification societies or ship builder or service provider or but does not include administrative or statutory authorities under the Act or the rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Form of central database. - The central database referred to in clause (f) of section 3 of the Act shall contain the following data and details in electronic form, namely–

(i) application for conducting survey of vessel;
(ii) declaration to be issued by the surveyor;
(iii) record of equipment and vessel information;
(iv) application for provisional certificate of survey;
(v) provisional certificate of survey;
(vi) survey certificate of category A, B and C vessel;
(vii) particulars to be furnished for survey of new vessel which is to be surveyed for the first time;
(viii) official log book for an inland mechanically propelled vessel;
(ix) application for change of name of the vessel on certificate of survey, as contained in form 1 to 9 of the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022;
(x) Book of registration of vessels and application for registration, declaration of ownership, appointment of date and time of inspection of the inland vessel by the registering authority;
(xi) carving and marking note, application regarding registration, application for transfer of registry, instrument creating, transfer or discharge of mortgage, application for issuance of provisional certificate of registration as contained in Forms 1 to 13 of the Inland Vessels (Registration and other technical issues) Rules, 2022;
(xii) certificates of competency issued to crew, medical certificate for appearing for certificate of competency, certificate of service, application form for appearing in certificate of competency, as contained in Forms 1 to 3 of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022;
(xiii) certificate of compliance for prevention and containment of pollution, as contained in Third Schedule of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, certificate of insurance as contained in Form 2 of the Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022;
(xiv) data and details of reception facilities: and
(xv) such other data as may be directed to be included by the competent authority

4. Powers to issue directions. - The competent authority shall issue directions regarding the qualifications, criteria and other terms and conditions for selection and appointment of nodal officer for the purposes of these rules.

5. Duties of nodal officer. - (1) The nodal officer shall monitor, administer and maintain the central database and shall ensure that the information duly recorded and available in the web portal is secured and functional.

(2) The nodal officer shall be responsible for collecting the data and details from the designated authorities of each State under rule 9.

(3) A report of performance and data received from the designated authorities under rule 9 shall be provided by the nodal officer to the competent authority at such regular intervals, as may be directed by the competent authority.

(4) The nodal officer after prior permission of the competent authority for the purposes of performing the duties under sub-rule (1), may appoint officers or persons, who are experts in the field of information technology, data handling and protection and software or hardware development. Such appointment shall be made in accordance with the guidelines, terms and conditions as mandated by the Central Government from time to time.

(5) The nodal officer shall provide for training of officers or persons appointed under him to ensure appropriate utilisation of the database and the management of information contained therein, and shall also provide training of officials of designated authorities, other sub-ordinate officers and stakeholders on database and management of information.

(6) The nodal officer and the officers or persons appointed under sub-rule (4) of rule 5, in order to maintain the central database shall —

(i) ensure the integrity, security, standards and quality of data;

(ii) ensure scalability and performance optimisation;

(iii) make sufficient mechanisms for backup and recovery;

(iv) ensure consistency of data;

(v) maintain documentation and metadata;

(vi) ensure performance monitoring and optimisation;

(vii) ensure compliance with relevant data protection regulations such as General Data Protection Regulation (GDPR), Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) Guidelines;

(viii) ensure change management and regular maintenance; and

(ix) comply with standard operating procedures and guidelines for maintenance of the database, as may be issued by the competent authority from time to time.

6. Standards and procedures for maintaining the central database. - (1) Subject to the provisions of rule 5, the nodal officer shall ensure that the following standards and procedures are implemented for maintaining the database, namely: -

(i) managing the database properly;

(ii) identification of individuals or teams responsible for data quality, integrity, and security;

(iii) defining processes for data creation, storage, retrieval, and archiving or deletion;

(iv) defining roles such as admin, user, guest and specify access rights for each role;

(v) implementation of secure login mechanisms and determine who can access what data;

(vi) ensure logging of all database activities for traceability and accountability;

(vii) performing frequent backups and updates;

(viii) defining retention policies for backup data to ensure compliance and optimise storage usage;

(ix) forming a dedicated database to keep the data intact and secured;

(x) recording the details as mandated under clause (f) of section 3, sub-section (3) of section 41 of the Act or rules made thereunder;

(xi) providing source of information or data that has been recorded, maintained and available for verification by authorities concerned;

(xii) providing user manual, restrictions, procedures and terms and conditions of accessibility to administration or third-party access;

(xiii) assigning registration of accounts, user identity and passwords for user interface;

(xiv) providing procedures for uploading of information;

(xv) providing privacy policies, liabilities and copy rights;

(xvi) updating the database periodically;

(xvii) maintaining history of searches;

(xviii) providing necessary disclaimers;

(xix) scheduling routine maintenance tasks such as database optimisation, patch management, and software updates;

(xx) utilising collaboration platforms for effective communication among database stakeholders;

(xxi) establishing channels for users to provide feedback and suggestions for database improvement;

(xxii) conducting regular reviews of database guidelines, policies, and procedures to address evolving needs and technologies;

(xxiii) continuous improvement by soliciting feedback and incorporating lessons learned from past experiences; and

(xxiv) scanning of legacy data and uploading in central database.

(xxv) such other matters as may be directed to be included by the competent authority from time to time;

(2) The users of the central database shall ensure that use or search is fully in conformity with the standards and procedures provided under these rules.

7. Accessibility: - (1) The concerned officials of Central Government, Competent Authority, Designated Authorities, or officials of State Government shall have complete access to the central database;

(2) The nodal officer and the officers and persons appointed by the nodal officer under sub-rule (4) of rule 5, shall have complete access to the database.

(3) Notwithstanding anything in sub-rule (1) & sub-rule (2), in compliance with terms and conditions issued by the competent authority, limited third party access to generic data may be provided.

(4) Owners of vessels shall have access only to the information relating to the vessels owned by them.

(5) Crew shall have limited access only to their profiles.

(6) Training institutes shall have access to their own institute data.

8. Confidentiality: - (1) Any information obtained from the search on the central database shall be treated as confidential and shall not be disclosed except for a purpose declared as permitted by the competent authority.

(2) For the purpose of this rule, competent authority may, by directions, provide for such terms and conditions subject to which information could be disclosed by the user.

9. Duty of the designated authority. –

(1) The designated authority of each State shall be responsible for providing the data and details contained in rule 3 to the nodal officer in electronic format at regular intervals of not more than thirty days.

(2) The designated authority of each State shall be responsible for creating new electronic records in real time of the data and details contained in rule 3.

[F. No. IWT-11011/114/2021-IWT]
Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.11.01 19:21:03 +05'30'